न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला– ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 180/2022
GCMSNo.- : 2022/332

–: वादी :–

1. भैराराम पुत्र गुमानराम
जाति– देवासी, निवासी–
बलुन्दा, तहसील– जैतारण।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. अमोलक पुत्र भगवान दास
2. कानाराम पुत्र भगवानदास
(नाऔलाद फौत)
3. नाथूदास पुत्र भगवानदास
4. नारायणदास पुत्र केसुदास
(नाऔलाद फौत)
5. प्रकाश पुत्र भगवानदास
(नाऔलाद फौत)
6. पारसदास पुत्र भगवानदास
7. मदन पुत्र भगवानदास
(नाऔलाद फौत)
जातियान– वैष्णव, निवासीगण–
बलुन्दा, तहसील– जैतारण,
जिला– पाली राज०।
8. रामप्रकाश पुत्र निम्बाराम
जाति– देवासी, निवासी–
रामनगर, छापला, तहसील–
भोपालगढ़, जिला– जोधपुर।
9. सुभाष देवासी पुत्र भंवरलाल
जाति– देवासी, निवासी– नाडसर,
तहसील– भोपालगढ़ जिला–
जोधपुर, राज०।
मोहन लाल वल्द गणेशराम
10. तहसीलदार तहसील– जैतारण
जिला– ब्यावर (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — तारीख रजू:-27/09/2022

उपस्थित:. 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रेवतसिंह चारण, श्री अब्दुल कलाम, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः– 22/03/2024

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् [illegible] प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से [illegible] की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा बलुन्दा, पटवार हल्का बलुन्दा, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त आ. कालू, तहसील– जैतारण में स्थित खसरा नम्बर– 1833, रकबा– 2.5252 हैक्टेयर, किस्म– बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1834, रकबा– 1.5783 हैक्टेयर, किस्म– बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 1839, रकबा 1.5864 हैक्टेयर किस्म, बारानी अव्वल की आई है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:10:56 IST
Reason: SelfAttested

श्याम सुन्दर (बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

। का 1/4 वां हिस्सा आता है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। वादी एवं प्रतिवादी ख्या 01 से 09 अपने हिस्से माफिक मौके पर काबिज होकर काश्त कार्य करते चले आ है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड चौसाला जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति इस वादपत्र के साथ पेश तथा ऊपर वर्णित खसरा नम्बर की भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से वादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। वादी अपने 1/4 वे हिस्से की भूमि पर शान्ति र्वक काबिज होकर काश्त कार्य कर रहा है। इसलिये वादी का 1/4वां हिस्से की भूमि ाजस्व रेकर्ड एवं नक्शे में अलग तरमीम किया जाना आवश्यक है। जिससे वादी अपने कृषि भूमि की तारबन्दी, नेखबन्दी करवा सके तथा अपनी भूमि को ओर ज्याद उपजाऊ बना सकता है। वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि पक्षकारों के बीच संयुक्त व सामलाती है तथा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा मौके पर नाप चौप व माठे भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के नाप चौप करते हुये नहीं की गई है, इस वजह से वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर कई बार विवाद भी होता है। जबकि वादी अपने हक हिस्से की भूमि पर देशी खाद काली मिट्टी डलवाकर और अधिक उपजाउ बनाना चाहता है, साथ ही सुरक्षा के प्रयोजनार्थ लोहे की जाली व तारबन्दी भी करवाना चाहता है परन्तु इस भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर विवाद होता है। इस वजह से वादी वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर की विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाना चाहता है तथा मौके पर भी पेमाईश करवाना चाहता है, लेकिन प्रतिवादीगण उसमें सहमत नही है तथा प्रतिवादीगण विशिष्ट भू भाग को अपना होना बताकर उस पर अपना स्थाई कब्जा करने पर आमादा है। जबकि वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के इस विवादित भूमि का बंटवाड़ा चाहता है। जिसमें प्रतिवादीगण सहमत नही होने से तथा बंटवाड़ा करवाने व उसमें सहमति देने से इंकार कर देने पर वादी के पास यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत विवादित भूमि के बंटवाड़ा हेतु सादर पेश है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण के बीच संयुक्त व शामलाती राजस्व रिकर्ड में दर्ज है जिसका वादी माफिक हिस्से अनुसार अपनी उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा भी बाई मिंटस एण्ड बाउण्डस के करवाना चाह रहा है लेकिन प्रतिवादीगण उसमें सहमत नही हो रहा है साथ ही विशिष्ट भू भाग से वादी को बेकाबिज करते हुये अपना कब्जा करने पर आमादा है। इस प्रकार से यदि प्रतिवादीगण उक्त दुष्कृत्य करने में सफल हो जाता है एवं यदि उक्त प्रतिवादीगण इस वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किये बिना ही इस भूमि के विशिष्ट भू भाग को अपना होना बताकर कब्जा कर लेते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही वादी इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगा। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंगस होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 10 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है वादपत्र अत्यंत ही आवश्यक प्रकृति का है इसलिये दो माह की अवधि पूर्ण होने तक प्रतिवादीगण वादी को इस भूमि से पूर्णतया बेदखल कर देगे ऐसी परिस्थितियों में नोटिस देना डिसपेन्स विथ कर यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। जिसके बाबत् धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थनापत्र पृथक से पेश किया गया है। बिनाय वाद दिनांक 16.09.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी से इस विवादित भूमि पर जबरदस्ती बेदखल कर अपना कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:10:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं कार्य. दण्डनायक

ने की ऐलानिया धमकी देने व सहमति से बंटवाड़ा करवाने का कहने पर मना करने पर मुकाम बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो अंदर म्याद एवं अदालत मान के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। तिवादीगण संख्या 8 व 9 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 6 को बार बार आवाजें दिलाई गई। बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया जो सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 08 व 09 ने इकबालिया जवाब दावा मे कथन किया है कि वादपत्र में वर्णित आराजी में वादी तथा प्रतिवादीगण जवाब देहिन्दा के माफिक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर सभी के हिस्से अनुसार अलग अलग तरमीम की जावे तथा वादी का वाद माफिक अनुतोष के स्वीकार कर डिक्री एवं निर्णित किया जाता है तो प्रतिवादी जवाब देहिन्दा को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र, इकबालिया जवाबदावा, साक्ष्य शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा बलुन्दा, पटवार हल्का बलुन्दा, भू.अ.नि. आ0कालू, तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान सम्वत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, अतः खसरा नम्बर 1833, 1834 व 1839 में वादी एवं प्रतिवादीगण 8 व 9 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व मौजा बलुन्दा पटवार हल्का बलुन्दा भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र आ. कालू, तहसील- जैतारण में स्थित खसरा नम्बर- 1833 रकबा- 2.5252 हैक्टेयर किस्म- बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1834 रकबा- 1.5783 हैक्टेयर किस्म- बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 1839 रकबा 1.5864 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें तथा मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2023/611 दिनांक 16/08/2023 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/24/1192 दिनांक 14/02/2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की जो सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की इस्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:10:56 IST
Reason: SelfAttested

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा बलुन्दा

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

ग्वार हल्का बलुन्दा भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र आ0कालू, तहसील– जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर– 1833 रकबा– 2.5252 हैक्टेयर किस्म– बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1834 रकबा– 1.5783 हैक्टेयर किस्म– बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 1839 रकबा 1.5864 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत		खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	भैराराम पुत्र गुमानराम देवासी सा देह खातेदार		1839	1.4225	बारानी अव्वल	0.88
2.	सुभाष देवासी पुत्र भंवरलाल जाति राईका सा. नाडसर ,तहसील भोपालगढ़		1839/1	0.1639	बारानी अव्वल	0.10
			1833/1	0.8078	बारानी अव्वल	0.50
			1834/1	0.4507	बारानी अव्वल	0.28
		योग	3	**1.4224**		0.88
3.	रामप्रकाश देवासी पुत्र निम्बाराम जाति देवासी, सा. रामनगर, छापला, तहसील - भोपालगढ़ खातेदार		1833/2	0.3961	बारानी अव्वल	0.25
			1834/2	0.3151	बारानी अव्वल	2.20
		योग	2	**1.4224**		0.45
4.	अमोलक पुत्र भगवान दास, कानाराम पुत्र भगवान दास, नाथूदास पुत्र भगवान दास, नारायणदास पुत्र केसूदास, पारस दास पुत्र भगवान दास, मदन पुत्र भगवान दास कौम– वैष्णव, सा. देह खातेदार।		1833	1.3213	बारानी अव्वल	0.82
			1834	0.8125	बारानी अव्वल	0.50
		योग	2	**2.1338**		1.32

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला– ब्यावर(राज0)

निर्णय आज दिनाँक 22/03/2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

(श्यामसुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला– ब्यावर(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:10:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
,काम :– जैतारण जिला ब्यावर
ईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादी

1. भैराराम पुत्र गुमानराम जाति– देवासी, निवासी– बलुन्दा, तहसील– जैतारण।

प्रतिवादीगण

1. अमोलक पुत्र भगवान दास
2. कानाराम पुत्र भगवानदास (नाऔलाद फौत)
3. नाथूदास पुत्र भगवानदास
4. नारायणदास पुत्र केसुदास (नाऔलाद फौत)
5. प्रकाश पुत्र भगवानदास (नाऔलाद फौत)
6. पारसदास पुत्र भगवानदास
7. मदन पुत्र भगवानदास (नाऔलाद फौत) जातियान– वैष्णव, निवासीगण– बलुन्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
8. रामप्रकाश पुत्र निम्बाराम जाति– देवासी, निवासी– रामनगर, छापला, तहसील– भोपालगढ़, जिला– जोधपुर।
9. सुभाष देवासी पुत्र भंवरलाल जाति– देवासी, निवासी– नाडसर, तहसील– भोपालगढ़ जिला– जोधपुर, राज०। मोहन लाल वल्द गणेशराम
10. तहसीलदार तहसील– जैतारण जिला ब्यावर (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०:– 180/2022
डिक्री दिनाँक : 22.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री रेवन्त सिंह चारण, श्री अब्दुल कलाम, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा बलुन्दा पटवार हल्का बलुन्दा भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र कालू, तहसील– जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर– 1833 रकबा– 2.5252 हैक्टेयर किस्म– बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1834 रकबा– 1.5783 हैक्टेयर किस्म– बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 1839 रकबा 1.5864

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:10:56 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या ८ व ९ के हक स्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत		खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
	भैराराम पुत्र गुमानराम देवासी सा देह खातेदार		1839	1.4225	बारानी अव्वल	0.88
.	सुभाष देवासी पुत्र भंवरलाल जाति राईका सा. नाडसर तहसील भोपलगढ़		1839/1	0.1639	बारानी अव्वल	0.10
			1833/1	0.8078	बारानी अव्वल	0.50
			1834/1	0.4507	बारानी अव्वल	0.28
		योग	3	**1.4224**		**0.88**
3.	रामप्रकाश देवासी पुत्र निम्बाराम जाति देवासी सा. रामनगर छापला तहसील भोपालगढ़ खातेदार		1833/2	0.3961	बारानी अव्वल	0.25
			1834/2	0.3151	बारानी अव्वल	2.20
		योग	2	**1.4224**		**0.45**
4.	अमोलक पुत्र भगवान दास, कानाराम पुत्र भगवान दास, नाथूदास पुत्र भगवान दास, नारायणदास पुत्र केसूदास, पारस दास पुत्र भगवान दास, मदन पुत्र भगवान दास कौम– वैष्णव, सा. देह खातेदार।		1833	1.3213	बारानी अव्वल	0.82
			1834	0.8125	बारानी अव्वल	0.50
		योग	2	**2.1338**		**1.32**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/03/2024 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–ब्यावर)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	05–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	10–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजान:–	13–00		05–00

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो ... फैन की चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:10:56 IST
Reason: SelfAttested